श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

क्रमांक: एफ.३/ला.ब.शा.रा.सं.वि./शै./२०२०-२१/2317

दिनांक ०९.०६.२०२०
10

कार्यालय आदेश

विषय- द्वि-उपाधि (ड्यूल डिग्री) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या ऑनलाइन माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के सन्दर्भ में:-

महोदय,

दिनांक 27.05.2020 को आयोजित विद्वत्परिषद की बैठक में संकल्प संख्या-1.27 (2) के अनुपालन में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित दिशानिर्देशानुसार **द्वि-उपाधि (ड्यूल डिग्री) कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या ऑनलाइन माध्यम** से संचालित करने हेतु निर्धारित प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए तथा संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों के सुझावों के अनुसार उपर्युक्त प्रणाली के अन्तर्गत विद्वत्परिषद द्वारा नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से स्नातक उपाधि एवं परास्नातक उपाधि हेतु क्रमशः निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के **संयोजक डॉ. के. एस. सतीश**, विभागाध्यक्ष-अद्वैत वेदान्त विभाग को मनोनित गया है।

1. शास्त्री (साहित्य)
2. शास्त्री (सर्वदर्शन)
3. शास्त्री (न्याय वैशेषिक)
4. शास्त्री (धर्मशास्त्र)

उपर्युक्त संख्या 1 से 4 अनुसार संबंधित विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित अध्ययन मण्डल की बैठकें आयोजित कर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा नियमानुसार पाठ्यक्रम की सूचना एवं आवश्यक प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाएगा ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि:-

01. साहित्य एवं संस्कृति संकाय प्रमुख

02. **प्रो. भागिरथि नन्द, साहित्य विभागाध्यक्ष को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने विभाग से संबंधित अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा नियमानुसार पाठ्यक्रम की सूचना एवं आवश्यक प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाएगा ।**

03. डॉ. के. एस. सतीश, विभागाध्यक्ष एवं संयोजक

04. उप-कुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक)

05. निजी सचिव, कुलपति

06. निजी सचिव, कुलसचिव

07. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश को बेबसाइट पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

08. कार्यालय आदेश पंजिका

09. संबन्धित पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)